डाक-व्यय की पूर्व अदायगी के बिना डाक द्वारा भेजे जाने के लिए अनुमत. अनुमति-पत्र क्र. रायपुर-सी.जी.

पंजीयन क्रमांक रायपुर डिवीजन



छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 248] रायपुर, मंगलवार, दिनांक 30 अक्टूबर 2001—कार्तिक 8, शक 1923

लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण तथा चिकित्सा शिक्षा विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 30 अक्टूबर 2001

अधिसूचना

क्रमांक 977/4169/2001/स्वा.—प्रसव पूर्व निदान तकनीक (विनियमन और दुरुपयोग निवारण) अधिनियम 1994, (1994 का क्रमांक 57) की धारा 17 की उपधारा (3) के खंड (ख) के साथ पठित धारा 17 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार एतद्द्वारा समस्त मुख्य चिकित्सा अधिकारियों को प्रत्येक जिले में तथा समस्त खंड चिकित्सा अधिकारियों को प्रत्येक विकासखंड में उनको अपनी-अपनी अधिकारिता के भीतर सक्षम प्राधिकारी के रूप में नियुक्त करती है.

Raipur, the 30th October 2001

NOTIFICATION

No. 977/4169/2001/H.—In exercise of powers conferred by sub-section (2) of Section 17 and read with clause (b) of sub-section (3) of Section 17 of the Pre-Natal Diagnostic Techniques (Regulation and Prevention of misuse) Act, 1994 (No. 57 of 1994) the State Government, hereby appoints all Chief Medical Officers as Appropriate Authority for districts and appoints all Block Medical Officers as Appropriate Authority for the . ..k within their respective jurisdiction.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आलोक शुक्ला, सचिव.

रायपुर, दिनांक 30 अक्टूबर 2001

अधिसूचना

क्रमांक 978/4169/2001/स्वा.—प्रसव पूर्व निदान तकनीक (विनियमन और दुरुपयोग निवारण) अधिनियम, 1994 (1994 का सं. 57) की धारा 17 की उपधारा (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार एतद्द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (2) में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के लिये विकास खंड स्तर पर सलाहकार समिति गठित करती है जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे :—

1. प्रसूति एवं स्त्री रोग विषय में स्नातकोत्तर मेडिकल ऑफिसर
2. शिशु रोग विषय में स्नातकोत्तर मेडिकल ऑफिसर
3. भेषज विज्ञान/पैथालाजी विषय में स्नातकोत्तर मेडिकल ऑफिसर
4. जिला मुख्यालय के सहायक जिला अभियोजन अधिकारी
5. ब्लाक एक्सटेंशन हेल्थ एजूकेटर (स्वास्थ्य विभाग)
6. तीन सामाजिक कार्यकर्त्ता जिसमें कम से कम एक महिला संगठन से हो.

(अनुक्रमांक 6 पर सामाजिक कार्यकर्त्ताओं का नामनिर्देशन जिला कलेक्टर द्वारा जिले के प्रभारी मंत्री के अनुमोदन से किया जावेगा)

अधिसूचना

प्रसव पूर्व निदान तकनीक (विनियमन और दुरुपयोग निवारण) अधिनियम, 1994 (1994 का सं. 57) की धारा 17 की उपधारा (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार एतद्द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (2) में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के लिये जिला स्तर पर सलाहकार समिति गठित करती है जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे :—

1. प्रसूति एवं स्त्री रोग विषय में वरिष्ठतम स्त्री रोग विशेषज्ञ/स्नातकोत्तर मेडिकल ऑफिसर
2. शिशु रोग विषय में वरिष्ठतम शिशु रोग विशेषज्ञ/स्नातकोत्तर मेडिकल ऑफिसर
3. भेषज विज्ञान/पैथालाजी विषय में वरिष्ठतम भेषज विज्ञान/पैथालाजी विशेषज्ञ/स्नातकोत्तर मेडिकल ऑफिसर
4. जिला मुख्यालय के जिला अभियोजन अधिकारी
5. जिला जनसंपर्क अधिकारी
6. तीन सामाजिक कार्यकर्त्ता जिसमें कम से कम एक महिला संगठन से हो.

(अनुक्रमांक 6 पर सामाजिक कार्यकर्त्ताओं का नामनिर्देशन जिला कलेक्टर द्वारा जिले के प्रभारी मंत्री के अनुमोदन से किया जावेगा)

Raipur, the 30th October 2001

NOTIFICATION

No. 978/4169/2001/H.—In exercise of powers conferred by sub-section (5) of Section 17 of the Pre-Natal Diagnostic Techniques (Regulation and Prevention of misuse) Act, 1994 (No. 57 of 1994) the State Government, hereby constitutes advisory committee at block level or the purpose as specified in sub-section (2) of Section 4 of the said Act which consists of the following members :—

1. Postgraduate Medical Officer in Obstetrics and Gynecology
2. Postgraduate Medical Officer in Pediatrics
3. Postgraduate Medical Officer in Medicine/Pathology
4. Assistant Public Prosecutor of district headquarter
5. Block Extension Health Educator (Health Department)

6. Three social workers at least one of whom should from a women's organization.

(Social workers at No. 6 shall be nominated by the district collector with the approval of the Minister-in-charge of the district).

NOTIFICATION

In exercise of powers conferred by sub-section (5) of Section 17 of the Pre-Natal Diagnostic Techniques (Regulation and Prevention of misuse) Act, 1994 (No. 57 of 1994) the State Government, hereby constitutes advisory committee at district level for the purpose as specified in sub-Section (2) of Section 4 of the said Act which consists of the following members:—

1. Senior most Specialist in Obstetrics and Gynecology/Postgraduate Medical Officer in Obstetrics and Gynecology
2. Senior most Specialist in Pediatrics/Postgraduate Medical Officer in Pediatrics
3. Senior most Specialist in Medicine/Pathology/Postgraduate Medical Officer in Medicine/Pathology
4. Public Prosecutor of district headquarter
5. District Public Relations Officer
6. Three social workers at least one of whom should from a women's organization

(Social workers at No. 6 shall be nominated by the district collector with the approval of the Minister-in-charge of the district).

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आलोक शुक्ला, सचिव.

नियंत्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2001.